

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस

फौजदारी वाद संख्या-3233/2018

राज्य बनाम चरनजीत सिंह उर्फ चरन सिंह

अ0स0-392/2018

धारा- 3/25 आयुध अधिनियम

थाना-सिकन्दराराउ

जिला- हाथरस

कमिटल आदेश

पुलिस थाना सिकन्दराराउ ने अभियुक्त चरनजीत सिंह उर्फ चरन सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र धारा 3/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित किया है।

उक्त अपराध ,अपराध संख्या- 391/2018 धारा 307 भा0द0स0 से सम्बन्धित है। अतः उक्त मामले को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जाता है।

1. अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी जा चुकी है।
2. अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। जमानत से सम्बन्धित जा0फौ0 के उपबंधों के अधीन रहते हुये दौरान विचारण व समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया जाता है।
3. मामले की सत्र सुपुर्दगी की सूचना लोक अभियोजक को दी जावे ।
4. पत्रावली मय चिट्ठी कलैण्डर माननीय सत्र न्यायालय को भेजी जावे ।

अभियुक्त दिनांक 29.8.2018 को माननीय सत्र न्यायालय में उपस्थित हो

दिनांक-16.8.2018

एस.डी./-
(विनय आर्या)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हाथरस